रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 965] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938
No. 965] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/ VAISAKHA 2 , 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का.आ. 1476(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 27 फरवरी, 1971, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्याक सा. का. नि. 301, तारीख 1 मार्च, 1971 में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्याक (xix) (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(xix) (क) श्री डी. डी. के. शर्मा, अपर पादप संरक्षण सलाहकार (केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं रजिस्ट्रीकरण समिति), पादप संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन. एच.-IV, फरीदाबाद	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए) "।

[फा. सं. 13029/01/2016-पी.पी.I]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 772(अ), तारीख 17 मार्च 2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 1476(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, dated the 27th February, 1971 published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 301, dated the 1st March, 1971, namely:—

In the said notification, for serial number (xix)(a) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(xix) (a) Shri D.D.K. Sharma, Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Board And Registration Committee), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH IV, Faridabad.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 13029/01/2016-PP-I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide S.O. 772(E), dated the 17th March, 2015.

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का.आ. 1477(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना तारीख 3 फरवरी, 1997, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्याक का. आ. 79 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5. श्री डी. डी. के. शर्मा, अपर पादप संरक्षण सलाहकार (केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं रजिस्ट्रीकरण समिति), पादप संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन. एच.-IV, फरीदाबाद	सदस्य"।

[फा. सं. 13029/01/2016-पी.पी.I]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 773(अ), तारीख 17 मार्च, 2015 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 1477(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, dated the 3rd February, 1997 published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

" 5. Shri D.D.K. Sharma, Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Board And Registration Committee), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH IV, Faridabad	Member".

[F. No. 13029/01/2016-PP-I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended vide S.O. 773(E), dated the 17th March, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.